Ms Rashmi Bala
National Secretary

Ph +91 95825 61156
Email – hrpc@hrpcindia.org
Website – www.hrpcindia.org

ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल
HUMAN RIGHTS PROTECTION CELL (HRPC)

INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVERNMENT OF INDIA, THE INDIAN TRUST ACT 1882
REGD. WITH NITI AAYOG GOVERNMENT OF INDIA AND REGD. WITH NGO COUNCIL OF INDIA (NCI)
ALL HUMAN DESERVE RESPECT AND EQUAL HUMAN RIGHTS

SN: HRPC/NS/102 **DATE: 23 JANUARY 2025**

सेवा में:
आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान,
माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार
पता: 302-सी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

द्वारा:
सुश्री रश्मि बाला,
राष्ट्रीय सचिव, **ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल** (एचआरपीसी)
पता: एफ-49, शुभम अपार्टमेंट, प्लॉट 4, **द्वारका सेक्टर** 12,
केंद्रीय विद्यालय के सामने, नई दिल्ली - 110078

विषय: केंद्र सरकार द्वारा संचालित और मान्यता प्राप्त समस्त उच्च विद्यालयों एवं उच्चतम विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में **मानवाधिकार अधिनियम 1993** को शामिल किए जाने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही कुछ नैसर्गिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिन्हें किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता। ये अधिकार मानव जीवन की गरिमा बनाए रखने और उसके विकास के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें **मानवाधिकार** कहा जाता है। इनमें नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार भी शामिल हैं। किसी भी देश की सरकार का यह दायित्व होता है कि वह अपने नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

मानवाधिकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) ने 10 दिसंबर 1948 को **मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा** की और सभी देशों से अपने यहां मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम स्थापित करने का आह्वान किया। इस दिशा में भारत ने भी **मानवाधिकार अधिनियम 1993** बनाया और लागू किया, जो नागरिकों को उनके अधिकार सुनिश्चित कराने की दिशा में एक बड़ा कदम था।

आदरणीय महोदय, यह अत्यंत चिंताजनक है कि आज़ादी के 76 वर्षों के बाद भी **मानवाधिकार अधिनियम 1993** को देश के उच्च विद्यालयों और उच्चतम विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया है। इसके अभाव में छात्रों और नागरिकों में मानवाधिकारों की जागरूकता और समझ का पर्याप्त विकास नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, आज भी धर्म, जाति, नस्ल और लिंग के नाम पर भेदभाव और अत्याचार की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं।

इन घटनाओं से न केवल देश की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित होती है, बल्कि विदेशी निवेशक और पर्यटक भी उस देश में निवेश करने या आने से संकोच करने लगते हैं।

अतः किसी भी देश के विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसके नागरिकों में सभ्यता, मानवीय गरिमा और अन्य नागरिकों के प्रति सम्मान की भावना हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए स्कूली स्तर पर ही विद्यार्थियों को **मानवाधिकारों** की शिक्षा देना आवश्यक है। यह शिक्षा विद्यार्थियों को सही और गलत के बीच अंतर करने और किसी भी प्रकार की असंवैधानिक गतिविधि से दूर रहने के लिए प्रेरित करेगी।

Ms Rashmi Bala
National Secretary

Ph +91 95825 61156
Email – hrpc@hrpcindia.org
Website – www.hrpcindia.org

ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल
HUMAN RIGHTS PROTECTION CELL (HRPC)

INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVERNMENT OF INDIA, THE INDIAN TRUST ACT 1882
REGD. WITH NITI AAYOG GOVERNMENT OF INDIA AND REGD. WITH NGO COUNCIL OF INDIA (NCI)
ALL HUMAN DESERVE RESPECT AND EQUAL HUMAN RIGHTS

इसी संबंध मैं संस्था आपसे अनुरोध करती है कि **केंद्र सरकार द्वारा संचालित और मान्यता प्राप्त समस्त उच्च विद्यालयों एवं उच्चतम विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में मानवाधिकार अधिनियम 1993** को शामिल किया जाए। इस महत्वपूर्ण कदम से हम एक सशक्त और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अग्रसर होंगे।

कृपया इस संबंध में की गई कार्रवाई से हमें अवगत कराने का कष्ट करें।

सादर धन्यवाद।

भवदीया,
रश्मि बाला
राष्ट्रीय सचिव
ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल (एचआरपीसी)

सुश्री रश्मि बाला,
राष्ट्रीय सचिव, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल(एचआरपीसी)

प्रतिलिप -

1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार

सादर,
सुश्री रश्मि बाला,
राष्ट्रीय सचिव, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल(एचआरपीसी)